

29.08.2022:- आज यह प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी मनीराम जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सहारण उपस्थित आये। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्राथीगण के मध्य सेटलमेन्ट हो गया। इस कारण मूल वाद -पत्र खारिज हो गया। मुल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते
डा.मानसिंह
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

